तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 805/2016 अनवान मुलताना बनाम नारणाराम	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र भूरटिया पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 09.06.2017 को अटल सेवा केन्द्र भूरटिया पर पत्रावली पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, (एसडीओ) बाडमेर	
09.06.2017	यह पत्रावली अटल सेवा केन्द्र भूरटिया मुख्यालय पर पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। अप्रार्थीगण आज सूचना बावजूद अनुपस्थित हाने से उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 128 व 111 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि मौजा डउकियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भूरटिया तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 177 रकबा 20.08 बीघा, खसरा संख्या 356 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 358 रकबा 25.19 बीघा व खसरा संख्या 363 रकबा 23.08 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है। अतः मौजा डउकियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भूरटिया तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 177 रकबा 20.08 बीघा, खसरा संख्या 356 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 358 रकबा 25.19 बीघा व खसरा संख्या 363 रकबा 23.08 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) की जावे।	

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 805/2016 अनवान मुलताना बनाम नारणाराम
	कमीश्नर फीस 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल–शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, (एसडीओ) बाडमेर

Scanned by CamScanner